

प्रेषक,

अवधेश पाण्डेय,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
शामली, उ०प्र०।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
जनपद शामली।

विषय:-

उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या 14 / 2024 / SA -3 -243 / DAS -2024 / 301(1) / 2024, वित्त(सामान्य) अनुभाग 3, लखनऊ, दिनांक 28.06.2024 के अनुपालन में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के संदर्भ में श्रीमान महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 9691/IV-F-82(Pension)Admin(A), दिनांकित 16.07.2024 एवं पत्रांक संख्या 11718/IV-F-82(Pension)/Admin(A), दिनांकित 31.08.2024 के अनुपालन में आनलाइन एवं ऑफलाइन विकल्प प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या 11718 /IV- F-82(Pension)/Admin (A), दिनांकित 31.08.2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। तदक्रम में सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में उ०प्र० शासन के पूर्वोक्त संदर्भित दोनों शासनादेशों के आलोक में विकल्प मा० जनपद न्यायाधीश, शामली के पत्रांक संख्या 804 दिनांकित 11.07.2024 एवं पत्रांक संख्या 808 दिनांकित 12.07.2024 एवं पत्रांक 829 दिनांकित 20.07.2024 द्वारा भेजा जा चुका है। पूर्व प्रेषित विकल्प का अंकन ऑनलाइन भी दिनांक 03.08.2024 को अपलोड कर दिया गया है।


माननीय न्यायालय द्वारा प्रेषित उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांकित 31.08.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में पूर्व प्रेषित विकल्प पत्र दिनांकित 12.07.2024 के अवलोकन से यह विदित होता है कि पूर्व प्रेषित विकल्प पत्र पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति/सहमति अंकित नहीं है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा प्रेषित उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांकित 31.08.2024 के अनुपालन में पूर्व प्रेषित विकल्प पत्र के अनुक्रम में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति/सहमति सहित विकल्प पत्र पुनः प्रेषित है। सुलभ संदर्भित हेतु पूर्व प्रेषित पत्रों एवं विकल्प पत्र की छायाप्रतियाँ अवलोकनार्थ संलग्न हैं।

(संलग्नक-यथोक्त)

सादर!

दिनांक- 03.09.2024

भवदीय


(अवधेश पाण्डेय) 31/9/2024

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, शामली।

J.O.CODE-UP6346


संलग्नक:- विकल्प पत्र मय संस्तुति/सहमति कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शामली।

नं०-.....993...../

दिनांक-सितम्बर....03...2024

श्रीमान महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद शामली।
District Judge
Shamli

शासनादेश संख्या- 20/2024/एसए-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक:-

विकल्प पत्र

1. नाम- अवधेश पाण्डेय
2. वर्तमान पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट,
3. वेतनमान - 1,67,920/-[J-5-1,44840-1,94660]
4. वर्तमान विभाग का नाम न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- लोक सेवा आयोग, उ.प्र., इलाहाबाद, उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जू.डि.) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003
6. विज्ञप्ति की तिथि-ए-2/इ-1/2003, दिनांकित 22 नवम्बर, 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- उ.प्र. शासन, नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या: 2430/दो-4-06-32(1)/2001 T.C.1, दिनांक: 26 मई, 2006
8. योगदान की तिथि- दिनांक 16.06.2006 पूर्वाह्न
9. जन्मतिथि- 18.06.1965
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- 30.06.2025

मैं अवधेश पाण्डेय पुत्र स्व. श्री शोभनाथ पाण्डेय, शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3- 243/दस-2024/301(1) 2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

हस्ताक्षर-



नाम- अवधेश पाण्डेय 03/9/2024

पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट,

घोषणा पत्र

मैं अवधेश पाण्डेय, पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट, शामली, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम सं. 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।



नाम- अवधेश पाण्डेय 3/9/2024

पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा

श्री.अवधेश पाण्डेय, पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट, शामली, को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
District Judge

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

OTHER SERVICES APPLICATION OF AVADHESH PANDEY

Case Id : S00050012024

Employee No. : 6346

Application

1. Name of the Applicant

AVADHESH PANDEY

2. Type of

Application/Representation

Exercise of one time option to switch from N.P.S. to O.P.S. or to remain in N.P.S. under provisions of G.O. dated 28.06.2024 read with G.O. dated 11.07.2024

3. Designation

Spl. J. (SC/ST, Pev. of Atroci Act)

4. Application

विषय:- उ०प्र०शासन के शासनदेश संख्या 14 / 2024 / SA -3 -243 / DAS -2024 / 301(1) /2024, वित्त(सामान्य) अनुभाग 3, लखनऊ, दिनांक 28.06.2024 के अनुपालन में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के संदर्भ में श्रीमान महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 9691/IV-F-82(Pension)Admin(A), दिनांकित 16.07.2024 के अनुपालन में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन विकल्प प्रेषित किये जाने के संदर्भ में। महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या 9691/IV-F-82 (Pension)Admin(A), दिनांकित 16.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। तदक्रम में सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में उ०प्र० शासन के पूर्वोक्त संदर्भित दोनों शासनदेशों के आलोक में विकल्प मा० जनपद न्यायाधीश, शामिली के पत्रांक संख्या 804 दिनांकित 11.07.2024 एवं पत्रांक संख्या 808 दिनांकित 12.07.2024 द्वारा भेजा जा चुका है। पूर्व प्रेषित विकल्प पत्र एवं पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। (संलग्नक-यथास्त)

उपरोक्त क्रम में यहाँ यह भी पुनः अंकित किया जाना समीचीन है कि उ०प्र० न्यायिक सेवा में सिविल जज (जू.डि.) के पद पर चयनित होने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी उ०प्र० सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 10.02.1998 से दिनांक 15.06.2006 तक कार्यरत था और उ०प्र० सचिवालय में सिविल जज (जू.डि.) के पद पर चयन के उपरान्त दिनांक 15.06.2006 को अपराह्न में कार्यभार छोड़ा गया। उ०प्र० न्यायिक सेवा में आने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी की उ०प्र० सचिवालय में की गई पूर्व सेवाओं की गणना सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने की स्वीकृति उ०प्र० शासन के आदेश संख्या 4722/दो-4-7-23(9)2007, दिनांकित 12.01.2008 द्वारा की गई है, जो पहले से व्यक्तिगत पत्रावली में रक्षित है।

अवलोकनीय यह भी है कि अधोहस्ताक्षरी की उ०प्र० सचिवालय में सेवा के दौरान जी.पी.एफ. खाते में किया गया अंशदान उ०प्र० न्यायिक सेवा में आने के उपरान्त जी.पी.एफ. खाता संख्या LJU26633 में अंतरित भी कर दिया गया है और तब से अब तक जी.पी.एफ. खाता संख्या LJU26633 में नियमित कटौती हो रही है। उक्त के साथ यह भी अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की नई पेंशन के तहत कोई कटौती नहीं हो रही है।

मा० महोदय के पत्रांक संख्या 9691/IV-F-82 (Pension)Admin(A), दिनांकित 16.07.2024 के अनुपालन में भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी विसंगति से बचने के लिए पुनः आनलाइन विकल्प प्रेषित किया जा रहा है। चूंकि ऑफलाइन विकल्प पहले ही प्रेषित किया जा चुका है। अतः पूर्व प्रेषित विकल्प एवं पत्रों की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। सादर!

5. Date of Submission

03/08/2024

Attachments

Attachment

Application and Letter with proforma

*Red background attachments are uploaded in return of objection.

Uploading Date

03/08/2024

प्रेषक,

अवधेश पाण्डेय,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
शामली, उ०प्र०।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
जनपद शामली।

विषय:-

उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 14 / 2024 / SA -3 -243 / DAS -2024 / 301(1) / 2024, वित्त(सामान्य) अनुभाग 3, लखनऊ, दिनांक 28.06.2024 के अनुपालन में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के संदर्भ में श्रीमान महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 9691/IV-F-82(Pension)Admin(A), दिनांकित 16.07.2024 के अनुपालन में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन विकल्प प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या 9691/IV-F-82 (Pension)Admin(A), दिनांकित 16.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। तदक्रम में सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में उ०प्र० शासन के पूर्वोक्त संदर्भित दोनों शासनदेशों के आलोक में विकल्प मा० जनपद न्यायाधीश, शामली के पत्रांक संख्या 804 दिनांकित 11.07.2024 एवं पत्रांक संख्या 808 दिनांकित 12.07.2024 द्वारा भेजा जा चुका है। पूर्व प्रेषित विकल्प पत्र एवं पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। (संलग्न-यथोक्त)

उपरोक्त क्रम में यहाँ यह भी पुनः अंकित किया जाना समीचीन है कि उ०प्र० न्यायिक सेवा में सिविल जज(जू.डि.) के पद पर चयनित होने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी उ०प्र० सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 10.02.1998 से दिनांक 15.06.2006 तक कार्यरत था और उ०प्र० सचिवालय से सिविल जज (जू.डि.) के पद पर चयन के उपरान्त दिनांक 15.06.2006 को अपराह्न में कार्यभार छोड़ा गया। उ०प्र० न्यायिक सेवा में आने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी की उ०प्र० सचिवालय में की गई पूर्व सेवाओं की गणना सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने की स्वीकृति उ०प्र शासन के आदेश संख्या 4722/दो-4-7-23(9)2007, दिनांकित 12.01.2008 द्वारा की गई है, जो पहले से व्यक्तिगत पत्रावली में रक्षित है।

अवलोकनीय यह भी है कि अधोहस्ताक्षरी की उ०प्र० सचिवालय में सेवा के दौरान जी.पी.एफ. खाते में किया गया अंशदान उ०प्र० न्यायिक सेवा में आने के उपरान्त जी.पी.एफ. खाता संख्या LUJ26633 में अंतरित भी कर दिया गया है और तब से अब तक जी.पी.एफ.खाता संख्या LUJ26633 में नियमित कटौती हो रही है। उक्त के साथ यह भी अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की नई पेंशन के तहत कोई कटौती नहीं हो रही है।


1

मा० महोदय के पत्रांक संख्या 9691/IV-F-82 (Pension)Admin(A), दिनांकित 16.07.2024 के अनुपालन में भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी विसंगति से बचने के लिए पुनः ऑनलाइन विकल्प प्रेषित किया जा रहा है। चूंकि ऑफलाइन विकल्प पहले ही प्रेषित किया जा चुका है। अतः पूर्व प्रेषित विकल्प एवं पत्रों की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

सादर!

दिनांक-19.07.2024
संलग्नक:- यथोक्त

भवदीय


(अवधेश पाण्डेय) 19.7.2024


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, शामली।
J.O.CODE-UP6346

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शामली।

नं०-.....829...../

दिनांक-जुलाई...20..., 2024

श्रीमान महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद शामली।

प्रेषक,

अवधेश पाण्डेय,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट

जनपद शामली।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,

जनपद शामली।

विषय:- उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या 14/2024 दिनांकित 28.06.2024 के अनुपालन में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के सम्बंध में प्राप्त विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के साथ प्राप्त विकल्प पत्र पर पुरानी पेंशन हेतु विकल्प प्रस्तुत किये जाने के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। तदक्रम में सादर अवगत कराना है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र दिनांकित 10.07.2024 पृष्ठांकित कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शामली संख्या 804 दिनांकित 11.07.2024 के माध्यम से सम्पूर्ण तथ्य को अंकित करते हुए पुरानी पेंशन चुनने हेतु विकल्प प्रेषित किया गया है। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त विकल्प पत्र पर पुरानी पेंशन हेतु अपना विकल्प संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया प्रकरण पूर्व प्रेषित उपरोक्त चर्चित पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक 12.07.2024



(अवधेश पाण्डेय) 12/7/2024

अपर सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (एक्ट),

शामली।


संलग्नक-

1. विकल्प पत्र वास्ते चुनने पुरानी पेंशन योजना।
2. पूर्व में प्रेषित पत्र की प्रति

कार्यालय जनपद न्यायाधीश शामली

संख्या 808 दिनांक 12/07/2024

भद्रसारित


जनपद न्यायाधीश
शामली स्थित कैराना।

विकल्प पत्र

1. नाम- अवधेश पाण्डेय
2. वर्तमान पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट,
3. वेतनमान- 1,67,920/- [J-5=1,44,840=1,94,660]
4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- लोक सेवा आयोग, उ.प्र., इलाहाबाद, उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जू.डि.) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003
6. विज्ञप्ति की तिथि- ए-2/इ-1/2003, दिनांकित 22 नवम्बर, 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- उ.प्र.शासन, नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या; 2430/दो-4-06-32(1)/2001 T.C.1, दिनांकित: 26 मई, 2006
8. योगदान की तिथि- दिनांक 16.06.2006 पूर्वाह्न
9. जन्म तिथि- 18.06.1965
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- 30.06.2025

मैं अवधेश पाण्डेय पुत्र स्व. श्री शोभनाथ पाण्डेय शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301() 2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना () / नवीन पेंशन योजना () में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

हस्ताक्षर- Arsh

नाम- अवधेश पाण्डेय 12.7.2024

पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट,

घोषणा पत्र

मैं अवधेश पाण्डेय पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम सं. 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

Arsh

नाम- अवधेश पाण्डेय 12.7.2024

पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट,

सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती,पदनाम.....को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना () / नई पेंशन योजना () में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

द्वारा ई-मेल/पंजीकृत

प्रेषक,

अवधेश पाण्डेय,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
शामली, उ०प्र०।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
जनपद शामली।

विषय:- उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 14 / 2024 / SA -3 -243 / DAS -2024 / 301(1) / 2024, वित्त(सामान्य) अनुभाग 3, लखनऊ, दिनांक 28.06.2024 के अनुपालन में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या 9283/VII-b-104/Admin D Section दिनांकित 08.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। तदक्रम में सादर अवगत कराना है कि उ०प्र० न्यायिक सेवा, सिविल जज (जू.डि.), प्रारम्भिक परीक्षा 2003, के विज्ञापन संख्या -A-2/E-1/2003 विज्ञप्ति "सामाहिक रोजगार पत्रिका" दिनांकित 22-28 नवम्बर 2003 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त परीक्षा का फार्म भरा गया था तथा परीक्षा में अंतिम रूप से सिविल जज (जू.डि.) के पद पर चयनित होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को अपर सिविल जज (जू.डि.) बाराबंकी के पद पर नियुक्त किया गया, जिसके अनुपालन में दिनांक 16.06.2006 को पूर्वाह्न में जिला एवं सत्र न्यायालय, बाराबंकी में कार्यभार ग्रहण किया गया था।

उपरोक्त क्रम में यहाँ यह भी अंकित किया जाना समीचीन है कि उ०प्र० न्यायिक सेवा में सिविल जज (जू.डि.) के पद पर चयनित होने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी उ०प्र० सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 10.02.1998 से दिनांक 15.06.2006 तक कार्यरत था और उ०प्र० सचिवालय से सिविल जज (जू.डि.) के पद पर चयन के उपरान्त दिनांक 15.06.2006 को अपराह्न में कार्यभार छोड़ा गया। उ०प्र० न्यायिक सेवा में आने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी की उ०प्र० सचिवालय में की गई पूर्व सेवाओं की गणना सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने की स्वीकृति उ०प्र शासन के आदेश संख्या 4722/दो-4-7-23(9)2007, दिनांकित 12.01.2008 द्वारा की गई है, जो पहले से व्यक्तिगत पत्रावली में रक्षित है।

अवलोकनीय यह भी है कि अधोहस्ताक्षरी की उ०प्र० सचिवालय में सेवा के दौरान जी.पी.एफ. खाते में किया गया अंशदान उ०प्र० न्यायिक सेवा में आने के उपरान्त जी.पी.एफ. खाता संख्या LUJ26633 में अंतरित भी कर दिया गया है और तब से अब तक जी.पी.एफ. खाता संख्या LUJ26633 में नियमित कटौती हो रही है। उक्त के साथ यह भी अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की नई पेंशन के तहत कोई कटौती नहीं हो रही है।

८ -

अतः उपरोक्त तथ्यों के अनुक्रम में उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या 14/ 2024/S
243/DAS-2024/301(1)/2024, वित्त (सामान्य) अनुभाग 3, लखनऊ, दिनांक 28.06.20
अनुपालन में भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी विसंगति से बचने के लिए अधोहस्ताक्षरी उ
शासनादेश के अनुपालन में भी पुरानी पेंशन योजना के लाभ हेतु अपना विकल्प चुनता है।
कृपया प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने की कृपा

सादर!

दिनांक-10.07.2024

भवदीय



(अवधेश पाण्डेय) 10.7.2024

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण) अधिनियम, शामिल।


J.O.CODE-UP6346

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शामिल।

नं०-.....804...../

दिनांक-जुलाई.....11....., 2024

श्रीमान महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद शामिल।